उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
( उ0प्र0 सरकार का उपक्रम )
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
( U.P. Govt. Undertaking )
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

UPRVUNL

संख्या–45 / उनिलि / रिफॉर्म / विनियम:190–190.46 / मु0लि0सं0क0से0वि0 / 2020 दिनांक:25 / 02 / 2021

## कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 05.02.2021 को सम्पन्न 190वीं बैठक में एजेण्डा आइटम सं0 190.46 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में "उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुख्यालय लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी सेवा विनियमावली–2020", एतद्द्वारा, निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है:–

## उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुख्यालय लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी सेवा विनियमावली–2020

### भाग–एक–सामान्य

1. यह विनियमावली "उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुख्यालय लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी सेवा विनियमावली–2020" कही जायेगी।
2. यह विनियमावली निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
3. उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुख्यालय लिपिकीय संवर्ग सेवा में कम्प्यूटर सहायक, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा समीक्षा अधिकारी के पद समाविष्ट हैं।
4. जब तक विषय एवं संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस विनियमावली में:–
   - i) "निदेशक मण्डल" का तात्पर्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल से है।
   - ii) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य 'निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)', उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से है।
   - iii) 'निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)' का तात्पर्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) से है।
   - iv) "मुख्यालय" का तात्पर्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मुख्यालय कार्यालय से है।
   - v) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य, किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 माह की अवधि से है।
   - vi) "सीधी भर्ती" का तात्पर्य, इस विनियमावली के भाग–3, भाग–4 एवं भाग–5 में प्राविधानित भर्ती प्रक्रिया से है।
   - vii) "चयन समिति" का तात्पर्य इस विनियमावली के भाग–6 में प्राविधानित चयन समितियों से है।

## भाग–दो–संवर्ग

5. सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी निदेशक मण्डल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायेगी।

6. जब तक उपरोक्त विनियम–5 के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाए, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुख्यालय में लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों (समूह 'ग') के पद एवं उनकी संख्या निम्नवत होगी :–

(1) कम्प्यूटर सहायक – 51

(2) सहायक समीक्षा अधिकारी – 22

(3) समीक्षा अधिकारी – 27

7. नियुक्ति प्राधिकारी, संवर्ग के किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या आस्थगित रख सकता है।

8. निदेशक मण्डल, समय–समय पर आवश्यकतानुसार, अतिरिक्त पदों का सृजन भी कर सकते हैं यदि वह उचित समझें।

## भाग–तीन–भर्ती/प्रोन्नति

9. **भर्ती का स्रोतः–** मुख्यालय में लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती/प्रोन्नति निम्नवत् की जायेगीः–

| | | |
|---|---|---|
| (1) | कम्प्यूटर सहायक | अ) विद्युत उत्पादन सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा **–60%**<br>ब) मुख्यालय में तैनात इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण स्थायी चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों में से निर्धारित विभागीय परीक्षा के माध्यम से कोटा **–40%**<br>(विभागीय प्रोन्नति प्रकिया इस विनियमावली के भाग–छः के विनियम–15 में निहित प्राविधानों के अनुसार सम्पादित की जायेगी) |
| (2) | सहायक समीक्षा अधिकारी | अ) विद्युत उत्पादन सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा **–80%**<br>ब) न्यूनतम 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके स्थायी कम्प्यूटर सहायकों से प्रोन्नति द्वारा **–20%** |
| (3) | समीक्षा अधिकारी | अ) न्यूनतम 07 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके स्थायी सहायक समीक्षा अधिकारी से प्रोन्नति द्वारा **–100%** |

10. **आरक्षणः–** विद्युत उत्पादन सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, उ0प्र0 शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी होने वाले निगम द्वारा अंगीकृत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार लागू होंगे।

## भाग–चार :–अर्हतायें

11. **सामान्य अर्हतायें:–**

| | | |
|---|---|---|
| 1) | राष्ट्रीयता | सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–<br>(क) भारत का नागरिक हो, या<br>(ख) तिब्बती शरणार्थी हों, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या |

| | | |
|---|---|---|
| | | (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा (म्याँमार), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानियाँ (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन (**Migrate**) किया हो:<br>प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका हो:<br>प्रतिबन्ध यह भी है कि श्रेणी (ख) में आने वाले अभ्यर्थी को पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।<br>अग्रिम प्रतिबन्ध यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) में आने वाले अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र में दी गई अवधि के पश्चात सेवा में नहीं रखा जायेगा जब तक उसने भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लिया हो। |
| 2) | आयु | न्यूनतम–21 वर्ष<br>(01 जनवरी से 30 जून तक रिक्तियों के विज्ञापन के सम्बन्ध में न्यूनतम आयु की, गणना 01 जनवरी को तथा 01 जुलाई से 31 दिसम्बर तक रिक्तियों के विज्ञापन के सम्बन्ध में न्यूनतम आयु की गणना 01 जुलाई को की जायेगी)<br>अधिकतम–40 वर्ष<br>(अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबन्ध केवल ऐसे पदों के लिये लागू होगा, जो बाह्य अभ्यर्थियों हेतु सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किये जायेंगे) |
| 3) | आयु में शिथिलीकरण | अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सहित आरक्षित वर्ग की अन्य श्रेणियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में छूट के वही प्राविधान लागू होंगे जो समय–समय पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किये जायेंगे। |
| 4) | चरित्र प्रमाण पत्र | (क) नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करवा ले परन्तु, किसी भी स्थिति में सत्यापन का कार्य परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद के लिये न छोड़ा जाये। सेवा के मध्य कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित किया जाता है तो उसे निरन्तर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस, प्रतिकर अथवा वेतन के, निरस्त कर दी जायेगी।<br>(ख) अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।<br>(ग) अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है, उस क्षेत्र के दो ऐसे संभ्रांत व्यक्तियों, जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, से सत्चरित्रता का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। |
| 5) | स्वस्थता प्रमाण–पत्र | प्रत्येक अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पायें गये हों, को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक |

| | | |
|---|---|---|
| | | एवं शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण–पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसे निगम ने इसके लिये प्राधिकृत किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। |
| 6) | वैवाहिक स्थिति | सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसे पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, परन्तु यह कि निदेशक मण्डल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं। |

नोटः– केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत (**Dismissed**) व्यक्ति/अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति/अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होंगे।

**12. शैक्षिक अर्हतायें (सीधी भर्ती):–**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | कम्प्यूटर सहायक | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। |
| (2) | सहायक समीक्षा अधिकारी | |

## भाग–पाँच–सीधी भर्ती की प्रक्रिया

**13. कम्प्यूटर सहायकः–** कम्प्यूटर सहायक के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर चयन किये जाने हेतु विद्युत उत्पादन सेवा आयोग द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:–

**प्रथम भागः**

(1) इस भाग में **NIELIT** के **"CCC"** स्तर के कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा, अर्थात् यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जायेंगे अर्थात ¼ अंक की कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम–से–कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

**द्वितीय भागः–**

इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा, जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित है। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जायेंगे अर्थात ¼ अंक की कटौती की जायेगी।

| पाठ्यक्रम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक |
|---|---|---|
| (1) सामान्य अध्ययन<br>व<br>तार्किक ज्ञान | 25<br><br>45 | 25<br><br>45 |
| (2) सामान्य हिन्दी<br>*(इण्टरमीडिएट सामान्य स्तर)* | 55 | 55 |
| (3) सामान्य अंग्रेजी<br>*(इण्टरमीडिएट सामान्य स्तर)* | 55 | 55 |
| कुल अंक | | 180 |

**तृतीय भाग:**

उपरोक्त द्वितीय भाग की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर हिन्दी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत उत्पादन सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुने से कम नहीं होगी।

टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जायेगा।

हिन्दी टंकण की परीक्षा **Kruti Dev 010** या **016** फोन्ट में ली जायेगी।

चयन हेतु हिन्दी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात् हिन्दी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न कर सकने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे। यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रदान किये जायेंगे जो हिन्दी टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किये हों, अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।

**विशेष:**

**(1)** उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 180 अंकों एवं तृतीय भाग की टंकण परीक्षा हेतु निर्धारित 20 अंकों अर्थात कुल 200 अंकों में प्राप्त हुए अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अन्तिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

**(2)** उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी।

**(3)** परीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका इस विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग को प्राप्त होगा।

14. **सहायक समीक्षा अधिकारी:–** सहायक समीक्षा अधिकारी के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर चयन किये जाने हेतु विद्युत उत्पादन सेवा आयोग द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी:–

**प्रथम भाग:**

(1) इस भाग में **NIELIT** के **"O"** स्तर के कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात् यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जायेंगे अर्थात ¼ अंक की कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम–से–कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

**द्वितीय भाग:–**

इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा, जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित है। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जायेंगे अर्थात ¼ अंक की कटौती की जायेगी।

| पाठ्यक्रम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक |
|---|---|---|
| (1) सामान्य अध्ययन<br>व<br>तार्किक ज्ञान | 20<br><br>40 | 20<br><br>40 |
| (2) सामान्य हिन्दी<br>*(इण्टरमीडिएट उच्च स्तर)* | 70 | 70 |
| (3) सामान्य अंग्रेजी<br>*(इण्टरमीडिएट उच्च स्तर)* | 70 | 70 |
| कुल अंक | | 200 |

**तृतीय भाग:**

उपरोक्त द्वितीय भाग की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर हिन्दी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत उत्पादन सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुने से कम नहीं होगी।

टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जायेगा।

हिन्दी टंकण की परीक्षा **Kruti Dev 010** या **016** फोन्ट में ली जायेगी।

चयन हेतु हिन्दी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अर्थात् हिन्दी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न कर सकने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

**विशेष:**

**(1)** उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अन्तिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

**(2)** उपरोक्तानुसार, निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी।

**(3)** परीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका इस विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग को प्राप्त होगा।

## भाग–छ :–विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया

### 15. चतुर्थ श्रेणी (समूह–घ) से कम्प्यूटर सहायक के पद पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नतिः–

कम्प्यूटर सहायक के 40 प्रतिशत पद, मुख्यालय के चतुर्थ श्रेणी (समूह–घ) के स्थायी कार्मिकों में से विभागीय परीक्षा द्वारा अधोलिखित प्राविधानानुसार भरे जायेगें:–

**1) विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्रता**

i) अभ्यर्थी न्यूनतम इण्टरमीडिएट की शैक्षिक योग्यता रखता हो।

ii) चतुर्थ श्रेणी के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।

iii) विगत 05 वर्षों की सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो, तथा

iv) विगत 05 वर्षों में से कम से कम 03 वर्षों की गोपनीय प्रविष्टि संतोषजनक हो, जिसमें से अन्तिम वर्ष की प्रविष्टि का संतोषजनक होना आवश्यक है।

**2) विभागीय परीक्षा का प्रारूपः–**

**क) टंकण परीक्षाः–** 05 मिनट की हिन्दी टंकण परीक्षा में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। टंकण परीक्षा कम्प्यूटर पर ली जायेगी।

**ख) लिखित परीक्षाः–**

**वस्तुनिष्ठ (Objective)**

| प्रश्न | विषय | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक |
|---|---|---|---|
| 1. | सामान्य अध्ययन | 50 | 50 |
| 2. | सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण | 50 | 50 |
| | कुल अंक | | 100 |

**टिप्पणीः–**

i) लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 01 (एक) अंक का होगा परन्तु गलत उत्तर के लिये अंक कम नहीं किये जायेंगे।

ii) विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा उपरोक्त चयन हेतु उप महाप्रबन्धक(मा0सं0–02)/अधीक्षण अभियंता (मा0सं0–02) की अध्यक्षता में एक 04 सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा जिसमें उप सचिव/अधिशाषी अभियंता/अनु सचिव स्तर के 03 अधिकारी सदस्य होंगे। सदस्यों में एक अधिकारी अनुसूचित जाति का, दूसरा अन्य पिछड़े वर्ग का तथा तीसरा अल्पसंख्यक वर्ग का होगा।

iii) लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण का पाठ्यक्रम इण्टरमीडिएट स्तर का होगा।

iv) लिखित परीक्षा के लिये प्रश्न पत्रों का प्रारूप चयन समिति निर्धारित करेगी।

v) लिखित परीक्षा में अधिक से कम अंक प्राप्त करने के क्रम में चयन समिति द्वारा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची तैयार कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

vi) लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी किन्तु अंक एवं उम्र दोनों के समान होने की स्थिति में टंकण परीक्षा में अधिक गति प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा।

16. <u>**कम्प्यूटर सहायक से सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नतिः–**</u>

कम्प्यूटर सहायक से सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित 20 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया निम्नवत होगीः–

i) ऐसे स्थायी कम्प्यूटर सहायक चयन हेतु पात्र होंगे जिन्होंने कम्प्यूटर सहायक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।

ii) चयन हेतु निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन) की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति गठित की जायेगी जिसमें उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियंता स्तर के तीन अधिकारी सदस्य होंगे। सदस्यों में से एक अधिकारी अनुसूचित जाति का, दूसरा अन्य पिछड़े वर्ग का तथा तीसरा अल्पसंख्यक वर्ग का होगा।

iii) चयन अनुपयुक्त को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

iv) प्रोन्नति हेतु 20 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत वांछित संख्या में कम्प्यूटर सहायक उपलब्ध न होने की स्थिति में सहायक समीक्षा अधिकारी के रिक्त रह गये पदों को, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन) से अनुमोदन प्राप्त कर, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकेगा।

17. <u>**सहायक समीक्षा अधिकारी से समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नतिः–**</u>

सहायक समीक्षा अधिकारी के पद से समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया निम्नवत होगीः–

i) ऐसे स्थायी सहायक समीक्षा अधिकारी चयन हेतु पात्र होंगे जिन्होंने सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।

ii) चयन हेतु निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन) की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति गठित की जायेगी जिसमें उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियंता स्तर के तीन अधिकारी सदस्य होंगे। सदस्यों में से एक अधिकारी अनुसूचित जाति का, दूसरा अन्य पिछड़े वर्ग का तथा तीसरा अल्पसंख्यक वर्ग का होगा।

iii) चयन अनुपयुक्त को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

18. <u>**समीक्षा अधिकारी से अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नतिः–**</u>

समीक्षा अधिकारी के पद से अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति निगम में अनुभाग अधिकारी पद हेतु प्रचलित सम्बन्धित विनियमावली में निहित प्राविधानों से नियंत्रित होगी।

<u>**भाग–सात–नियुक्ति प्राधिकारी, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता**</u>

19. <u>**नियुक्ति प्राधिकारीः–**</u> निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन) उपरोक्त सभी पदों के लिये नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।

20. <u>**परिवीक्षाः–**</u>

(i) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति उपरान्त 2 वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(ii) नियुक्ति प्राधिकारी कारणों का उल्लेख करते हुए अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है किन्तु बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि किसी भी परिस्थिति में 01 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(iii) परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या अवधि के अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यदि यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोषजनक सेवा प्रदान करने में विफल रहा है तो प्रोन्नत प्राप्त विभागीय कार्मिक को उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है तथा सीधी भर्ती के कार्मिक की सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(iv) उपरोक्त उपनियम (iii) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा अथवा उसकी सेवायें समाप्त की जायेंगी वह किसी प्रतिकार का हकदार न होगा।

**21. स्थायीकरणः–**

परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के उपरान्त आगामी एक अप्रैल से प्रारम्भिक नियुक्ति के पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदिः–

(i) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाए।

(ii) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो तथा नियुक्त प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिये सर्वथा उपयुक्त है।

(iii) प्रोन्नति के ऐसे पद जिन पर सीधी भर्ती का भी प्राविधान है, प्रोन्नत कार्मिक को स्थायीकरण के उपरोक्त वर्णित उपबन्धों के अधीन पुनः स्थायी किया जाना आवश्यक होगा।

**22. ज्येष्ठताः–**

**1) कम्प्यूटर सहायक पद पर–** सीधी भर्ती एवं विभागीय परीक्षा के माध्यम से कम्प्यूटर सहायक के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता निम्नवत निर्धारित की जायेगीः–

(i) **चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से विभागीय परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति (40 प्रतिशत कोटा)–**

विभागीय परीक्षा के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों की विभागीय परीक्षा की मेरिट के अनुसार सूची "A" तैयार की जायेगी।

(ii) **सीधी भर्ती (60 प्रतिशत कोटा)–**

सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की परीक्षा की मेरिट के अनुसार सूची "B" तैयार की जायेगी।

(iii) कम्प्यूटर सहायक के पद पर दोनों स्रोतों से एक ही चयन वर्ष में नियुक्त कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता सूची उनके लिये निर्धारित 40 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत कोटे के अनुसार 2:3 के अनुपात में निर्धारित की जायेगी जिसमें प्रथम एवं द्वितीय स्थान के लिये विभागीय अभ्यर्थियों के लिये तैयार की गयी सूची "A" से तथा तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम स्थान के लिये सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिये तैयार की गयी सूची "B" से नाम लिये जायेंगे। इसी प्रकार छठे एवं सातवें स्थान के लिये पुनः सूची "A" से तथा आठवें, नौवें एवं दसवें स्थान के लिये सूची "B" से नाम लिये जायेंगे। इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत पूरी वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

**2) सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर–** सीधी भर्ती एवं विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता निम्नवत निर्धारित की जायेगीः–

(i) **कम्प्यूटर सहायक के पद से प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति (20 प्रतिशत कोटा)–**

विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों की, उनकी मेरिट के अनुसार सूची "A" तैयार की जायेगी।

(ii) **सीधी भर्ती (80 प्रतिशत कोटा)–**

सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की परीक्षा की मेरिट के अनुसार सूची "B" तैयार की जायेगी।

(iii) सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर दोनों स्रोतों से एक ही चयन वर्ष में नियुक्त कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता सूची उनके लिये निर्धारित 20 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत कोटे के अनुसार 1:4 के अनुपात में निर्धारित की जायेगी जिसमें प्रथम स्थान के लिये प्रोन्नत अभ्यर्थियों के लिये तैयार की गयी सूची "A" से तथा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम स्थान के लिये सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिये तैयार

की गयी सूची "B" से नाम लिये जायेंगे। इसी प्रकार छठे स्थान के लिये पुनः सूची "A" से तथा सातवें, आठवें, नौवें एवं दसवें स्थान के लिये सूची "B" से नाम लिये जायेंगे। इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत पूरी वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

3) **समीक्षा अधिकारी पद पर–** सहायक समीक्षा अधिकारी से समीक्षा अधिकारी के पद पर शत–प्रतिशत प्रोन्नति की व्यवस्था के दृष्टिगत समीक्षा अधिकारी के पद की अलग से ज्येष्ठता निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी। सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर अवधारित की गयी ज्येष्ठता ही संवर्ग के अन्य उच्च पदों पर भी लागू रहेगी।

## भाग–आठ–वेतन

**23.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा समय–समय पर यथा अवधारित वेतन एवं भत्ते अनुमन्य होंगे।

**24.** इस विनियमावली के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन निम्नवत निर्धारित हैं:–

| पद नाम | वेतनमान | | |
|---|---|---|---|
| | वेतन बैण्ड का नाम | वेतन बैण्ड (रू0) | सादृश ग्रेड वेतन (रू0) |
| **कम्प्यूटर सहायक** | वेतन बैण्ड –1 | 5200–20200 | 2600 |
| **सहायक समीक्षा अधिकारी** | वेतन बैण्ड –2 | 9300–34800 | 4200 |
| **समीक्षा अधिकारी** | वेतन बैण्ड –2 | 9300–34800 | 4800 |

## भाग–नौ–अन्य उपबन्ध

**25.** ऐसे विषय जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत आवरित न होते हों वे सेवारत सरकारी सेवकों पर उ0प्र0 राज्य विद्यतु उत्पादन निगम लि0 द्वारा सामान्यतः समय–समय पर लागू नियमों/विनियमों एवं आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

**26.** इस विनियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से उत्पादन निगम में प्रचलित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एवं नवसृजित पद कम्प्यूटर सहायक हेतु इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य विनियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी "उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुख्यालय लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी सेवा विनियमावली–2020" प्रभावी होगी।

## भाग–दस–शिथिलीकरण

**27.** यदि यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई हो रही है तथा न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही आवश्यक हो जाये तो उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अध्यक्ष को ऐसे नियमों को शिथिल करने का विशेषाधिकार होगा।

**निदेशक मण्डल की आज्ञा से**

संख्याः 45/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:190–190.46/मु0लि0सं0क0से0वि0/2020 तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/स्तर–2) अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ, एटा।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 05.02.2021 को सम्पन्न 190वी में प्रस्तुत आइटम संख्या –190.46 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
8. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05)/उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–02)/अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण इकाई)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

25/2/21

( तरूण कुमार जैन )
अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म)